राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/12/2023 को संपन्न 503वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **500वीं, 501वीं एवं 502वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/12/2023, 12/12/2023 एवं 13/12/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 500वीं, 501वीं एवं 502वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/12/2023, 12/12/2023 एवं 13/12/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बहेसर क्ले (माईनर मिनरल्स) (प्रो.– श्री उमेश कुमार भावनानी), ग्राम–बहेसर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2691)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 443421 एवं 07/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.786 हेक्टेयर एवं 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	कच्चा ईंट 20,00,000 नग प्रतिवर्ष
खसरा क्रमांक	116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2 एवं 119/1	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि श्री उमेश कुमार भावनानी	आवेदक
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुरेश भावनानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक – 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2 एवं 119/1 क्षेत्रफल – 1.786 हेक्टेयर क्षमता – 2,000 घनमीटर/वर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता–20,00,000 नग/वर्ष दिनांक – 09/09/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/10/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वर्तमान में 200 नग पौधों का वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 27/10/2023 वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में 1,000 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 330 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 560 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 396 घनमीटर	

	वर्ष 2021–22 में 650 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 817 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत सोण्ड्रा दिनांक 22/07/2004 10 वर्ष हेतु वैध थी	ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/03/2016	
500 मीटर	दिनांक 26/10/2023	कुल 7 खदानें, 14.649 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 26/10/2023	200 मीटर के भीतर नाली (मौके पर नहीं) एवं खारून नदी स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री उमेश भावनानी अवधि–08/10/2004 से 07/10/2034	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 27/10/2023 द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को आवेदन किया जाना बताया गया है।	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – बहेसर 1 कि.मी. स्कूल – बहेसर 1 कि.मी. अस्पताल – बहेसर 1 कि.मी.	खारून नदी – 100 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स** – जियोलॉजिकल 32,200 घनमीटर माईनेबल 28,720 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 14.36 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50%	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,000 घनमीटर तृतीय 2,000 घनमीटर चतुर्थ 2,000 घनमीटर पंचम 2,000 घनमीटर षष्टम 2,000 घनमीटर सप्तम 2,000 घनमीटर अष्टम 2,000 घनमीटर नवम 2,000 घनमीटर दशम 2,000 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 870 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	नहीं	चिमनी नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7.04 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 824 नग किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 624 नग
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.435 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the updated copy of gram panchayat NOC.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit details that in which kilns the raw bricks will be used to convert them into usable form like pukka bricks (by heating and making baked bricks) and whether those kilns have already got environmental clearance or not? submit the copy of the same.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the DPR (Detailed Project Report) of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बहेसर क्ले (माईनर मिनरल्स) (प्रो.– श्री उमेश कुमार भावनानी), ग्राम–बहेसर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2692)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise

the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 444451 एवं 07/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.159 हेक्टेयर एवं 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	30,00,000 नग प्रतिवर्ष
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 97 एवं 102	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि श्री उमेश कुमार भावनानी	आवेदक
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुरेश भावनानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक – 97 एवं 102 क्षेत्रफल – 2.159 हेक्टेयर क्षमता – 3,000 घनमीटर/वर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता – 30,00,000 नग प्रतिवर्ष दिनांक – 09/09/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/10/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हां	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप वर्तमान में 150 नग पौधों का वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 27/10/2023 वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में 1,220 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 350 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 580 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 464 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 554 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 814 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत सोण्ड्रा दिनांक 22/07/2004 10 वर्ष हेतु वैध थी।	ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/03/2016	
500 मीटर	दिनांक 28/10/2023	कुल 7 खदानें, रकबा 14.276 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 28/10/2023	200 मीटर के भीतर धरसा मार्ग एवं खारून नदी स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री उमेश भावनानी अवधि–08/10/2004 से 07/10/2034	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 27/10/2023 द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को आवेदन किया जाना बताया गया है।	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – बहेसर 1 कि.मी. स्कूल – बहेसर 1 कि.मी. अस्पताल – बहेसर 1 कि.मी.	खारून नदी – 125 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स** – जियोलॉजिकल 36,380 घनमीटर माईनेबल 29,700 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 9.9 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 10 टन	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 3,000 घनमीटर द्वितीय 3,000 घनमीटर तृतीय 3,000 घनमीटर चतुर्थ 3,000 घनमीटर पंचम 3,000 घनमीटर षष्टम 3,000 घनमीटर सप्तम 3,000 घनमीटर अष्टम 3,000 घनमीटर नवम 3,000 घनमीटर दशम 3,000 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 870 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल– 1,600 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 33 मीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 7.04 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 860 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 150 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 710 नग

श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर क्षेत्रफल 16.435 हेक्टेयर है।

1. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः—

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 1m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 1 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the updated copy of gram panchayat NOC.

iv. Project proponent shall submit the covering letter of quarry plan approval letter.

v. Project proponent shall submit an affidavit for not doing any mining or related activity out side the lease area.

vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 1 meter wide all along the mine lease boundary as per the guideiines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the DPR (Detailed Project Report) of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स सोनासिली ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), ग्राम–सोनासिली, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2693)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 443190 एवं 07/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.77 हेक्टेयर एवं 3,950 घनमीटर प्रतिवर्ष	39,50,000 नग प्रतिवर्ष
खसरा क्रमांक	138, 140, 141, 144, 145, 155, 157, 158, 159 एवं 160	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 141 श्री महावीर, खसरा क्रमांक 138 श्री लोकनाथ खसरा क्रमांक – 144 शासकीय भूमि शेष खसरे आवेदक के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त। खसरा क्रमांक 138 का बिक्री नामा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार क्रेता श्रीमती प्रीति शर्मा (आवेदक) है।
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		संजय कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक – 138, 140, 141, 144, 145, 155, 157, 158, 159 एवं 160 क्षेत्रफल – 1.77 हेक्टेयर क्षमता – 4,000 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 25/10/2016	डी.ई.आ.ई.ए.ए., जिला–गरियाबंद पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08/11/2041 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 400 नग।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 30/09/2022 01/01/2017 से 30/06/2017 – 38,81,300 नग 01/07/2017 से 31/12/2017 – निरंक 01/01/2018 से 30/06/2018 – 27,00,000 नग 01/07/2018 से 31/12/2018 – निरंक 01/01/2019 से 30/06/2019 – 17,19,500 नग 01/07/2019 से 31/12/2019 – निरंक 01/01/2020 से 30/06/2020 – 1,50,000 नग 01/07/2020 से 31/12/2020 – निरंक 01/01/2021 से 30/06/2021 – 1,50,000 नग	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में मिट्टी उत्खनन क्षमता घनमीटर प्रतिवर्ष में जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी नग प्रतिवर्ष में प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी घनमीटर प्रतिवर्ष में एवं दिनांक 01/04/2022 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

	01/07/2021 से 31/12/2021--निरंक 01/01/2022 से 30/03/2022 – 5,95,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत सोनासिली दिनांक 15/06/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 22/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 10/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/08/2023	200 मीटर की दूरी पर सुखा नदी एवं 500 मीटर पर नाला स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती प्रीती शर्मा अवधि–09/11/2011 से 08/11/2041	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	समिति का मत है कि आवेदित खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – सोनासिली 700 मीटर स्कूल – सोनासिली 900 मीटर अस्पताल – फिंगेश्वर 7.50 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 9.45 कि.मी. राज्यमार्ग – 3 कि.मी.	सुखा नदी – 80 मीटर मौसमी नाला – 400 मीटर तालाब – 830 मीटर नहर – 1.5 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 23,375 घनमीटर माईनेबल 21,045 घनमीटर रिकव्हरेबल 20,834 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 6 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50%	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन (मिट्टी) प्रथम 3,950 घनमीटर द्वितीय 3,950 घनमीटर तृतीय 3,950 घनमीटर चतुर्थ 3,950 घनमीटर पंचम 3,950 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 740 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल– 3,200 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई–35 मीटर	

गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नंदी से सुरक्षित दूरी हेतु	माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं 2000 वर्गमीटर (क्वारी पीट–2) क्षेत्र में 2 मीटर की गहराई तक पूर्व में उत्खनन किया जा चूका है। अतः इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9.75 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 770 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 400 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 370 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,23,250 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित सी.ई. आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट का निर्माण, फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, खदान में निर्मित कच्ची ईंटों को लीज क्षेत्र के भीतर सुखाने एवं लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन तथा ईट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors.

		में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1.77 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
46.93	2%	0.9386	Following activities at, **Village- Sonasilli**	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	**1.55**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 140 नग जिसमें से 20 नग वृक्ष पूर्व से तालाब कें चारो ओर अवस्थित है। शेष 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सोनासिली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा 745, क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सोनासिली ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), को ग्राम–सोनासिली, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 138, 140, 141, 144, 145, 155, 157, 158, 159 एवं 160 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.77 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 3,950 घनमीटर (39,50,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ माईन (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2694)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 447456 एवं 08/10/2023	

खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.255 हेक्टेयर एवं 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष	10,00,000 नग प्रतिवर्ष
खसरा क्रमांक	559/2, 559/7, 559/17, 559/18, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि श्री महेश प्रसाद गुप्ता	भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		दिनेश प्रसाद गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक – 559/2, 559/7, 559/17, 559/18, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561 क्षेत्रफल – 2.255 हेक्टेयर क्षमता – 1,400 घनमीटर/वर्ष एवं 10,00,000 नग/वर्ष दिनांक – 21/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-जशपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/12/2040 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक – 18/10/2022 वर्ष 2017 – 1,190 घनमीटर वर्ष 2018 – 1,280 घनमीटर वर्ष 2019 – 520 घनमीटर वर्ष 2020 – 100 घनमीटर वर्ष 2021 – 600 घनमीटर 03/2022 – 440 घनमीटर	समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किये गये मिट्टी उत्खनन की प्रमाणित जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत दुलदुला दिनांक 12/07/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 04/12/2020	
500 मीटर	दिनांक 21/09/2021	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 21/09/2021	30 मीटर में पक्की सड़क है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता अवधि-10/12/2010 से 09/12/2040	पूर्व में लीज श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर थी।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जशपुर द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 27/11/2010 के प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंर्तगत नहीं आता है।	समिति का मत है कि आवेदित खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – दुलदुला 2 कि.मी. स्कूल – दुलदुला 2 कि.मी. अस्पताल – दुलदुला 2 कि.मी.	सिरी नदी – 510 मीटर

	राष्ट्रीय राजमार्ग – 4.2 कि.मी. राज्यमार्ग – 20 कि.मी.	
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 45,100 घनमीटर माईनेबल 27,581 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 20 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 30%	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,400 घनमीटर द्वितीय 1,400 घनमीटर तृतीय 1,400 घनमीटर चतुर्थ 1,400 घनमीटर पंचम 1,400 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 1,021 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 2,140 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 30 मीटर	
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 101 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – वॉटर रिजर्वायर के लिए	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 2 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 150 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,91,750
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.255 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at nearby Niniyatala Govt. Primary School Village-Duldula	

			Rain Water Harvesting	0.60
			Plantation work in School	0.13
			Total	**0.73**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत निनियातला शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम–दुलदुला में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शाला परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन हेतु भू–स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2022 से किये गये मिट्टी उत्खनन की प्रमाणित जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के अंतर्गत शाला परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से संबंधित खदान में निर्मित कच्ची ईंटों को लीज के भीतर सुखाने एवं क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन तथा ईंट संबंधी कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स शेर ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2696)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 447517 एवं 09/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.48 हेक्टेयर एवं 4,800 घनमीटर (40,00,000 नग ईट) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	2150/1, 2150/2, 2150/3, 2151, 2152, 2153, 2160, 2188, 2189, 2190, 2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 एवं 2207	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 2153 श्री भूषण कुमार मोहन, श्रीमती अमरीका एवं श्री मानसिंह, खसरा क्रमांक 2152 श्री भारत, खसरा क्रमांक 2151 श्री बिसेलाल, खसरा क्रमांक 2150/1, 2150/2, 2150/3 श्री महावीर, खसरा क्रमांक 2160, 2188, 2189, 2190,	सहमति पत्र प्राप्त

	2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 एवं 2207 श्री संजय शर्मा के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री संजय शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 2150/1, 2150/2, 2150/3, 2151, 2152, 2153, 2160, 2188, 2189, 2190, 2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 एवं 2207 क्षेत्रफल – 2.48 हेक्टेयर क्षमता – 4,800 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 22/11/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला – महासमुंद पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24/10/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 23/05/2023 01/01/2017 से 30/06/2017 में 20,88,300 नग (4,176.6 घनमीटर) 01/07/2017 से 31/12/2017 में निरंक 01/01/2018 से 30/06/2018 में 4,00,000 नग (800 घनमीटर) 01/07/2018 से 31/12/2018 में निरंक 01/01/2019 से 30/06/2019 में 9,48,800 नग (1,897.6 घनमीटर) 01/07/2019 से 31/12/2019 में निरंक 01/01/2020 से 30/06/2020 में 6,29,500 नग (1,259 घनमीटर) 01/07/2020 से 31/12/2020 में निरंक 01/01/2021 से 30/06/2021 में 9,88,000 नग (1,976 घनमीटर) 01/07/2021 से 30/09/2021 में निरंक 01/10/2021 से 31/03/2022 में 14,50,000 नग (2,900 घनमीटर) 01/04/2022 से 30/09/2022 में	

	निरंक 01/10/2022 से 31/03/2023 में 6,00,000 नग (1,200 घनमीटर)	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत शेर दिनांक 17/05/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 22/03/2016	
500 मीटर	दिनांक 23/05/2023	अन्य 01, क्षेत्रफल–2.41 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 23/05/2023	लगभग 150 मीटर की दूरी पर केशवा नाला स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती प्रीति शर्मा अवधि–01/08/2005 से 24/10/2034	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–शेर, खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2247, 2248, 2249, 2267, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद द्वारा जारी दिनांक 22/02/2020 वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर) की बारनवापारा जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 25 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कनकेरा 1.3 कि.मी. स्कूल ग्राम – कनकेरा 1.5 कि.मी. अस्पताल – महासमुंद 7.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 4.95 कि.मी. राज्यमार्ग – 550 मीटर	बगनई नदी – 1.5 कि.मी. नाला – 150 मीटर तालाब – 1.15 कि.मी. नहर – 620 मीटर बांध – 6.75 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **पूर्व में रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 46,600 घनमीटर माईनेबल 44,420 घनमीटर **वर्तमान में शेष रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 32,390 घनमीटर माईनेबल 30,210 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 4,800 घनमीटर द्वितीय 4,800 घनमीटर तृतीय 4,800 घनमीटर चतुर्थ 4,800 घनमीटर पंचम 4,800 घनमीटर षष्टम 4,800 घनमीटर सप्तम 4,800 घनमीटर अष्टम 4,800 घनमीटर नवम 4,800 घनमीटर

	संभावित आयु 9 वर्ष 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,090 वर्गमीटर मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 10 टन	
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 1,500 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 35 मीटर	चिमनी पुराने पिट में स्थित है। माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 9.2 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 945 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 500 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 545 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 14,00,125 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी, फलाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने, चिमनी के लीज क्षेत्र से बाहर स्थित भाग को हटाकर एवं लीज क्षेत्र के भीतर स्थित भाग के ही उपयोग किये जाने, लीज क्षेत्र के भीतर कच्ची ईटों को सुखाये जाने एवं लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन एवं ईट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संब्रंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक

		08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. विद्यमान चिमनी किल्न को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.89 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
51.82	2%	1.0364	Following activities at, **Village- Sher**	
			Plantation aound village Pond	1.55
			Total	**1.55**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 130 नग जिसमें से 10 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित है। शेष 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत शेर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 2837, क्षेत्रफल 2.74हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शेर ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2150/1, 2150/2, 2150/3, 2151, 2152, 2153, 2160, 2188, 2189, 2190, 2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 एवं 2207 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.48 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 4,800 घनमीटर (40,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स धनसुली लाईमस्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती दुर्गेश शुक्ला), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2697)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 447624 एवं 10/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.832 हेक्टेयर एवं 85,250 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 984/1	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि श्री शरद शुक्ला	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री हितेश कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 984/1 क्षेत्रफल – 7 एकड़ क्षमता – 85,250 टन/वर्ष दिनांक – 14/05/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/11/2041 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हॉ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 550 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 19/12/2023 वर्ष 2018 – 19 में 76,600 टन वर्ष 2019 –2 0 में 69,000 टन वर्ष 2020 – 21 में 49,000 टन वर्ष 2021 – 22 में 42,000 टन वर्ष 2022 – 23 में 23,000 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 11/06/2011	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/01/2018	
500 मीटर	दिनांक 26/09/2023	अन्य खदानें 87, क्षेत्रफल-174.728 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/09/2023	200 मीटर के भीतर कच्चा रास्ता स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती दुर्गेश शुक्ला अवधि –01/12/2011 से 30/11/2041	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई समीपस्थ ग्राम (ग्राम-अकोलडीह खपरी, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, क्षेत्रफल 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर) की बारनवापारा जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 42 कि.मी.

	वन क्षेत्र से दूरी – 18 कि.मी.	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बहनाकाड़ी 1.1 कि.मी. स्कूल ग्राम – धनसुली 1.5 कि.मी. अस्पताल – रायपुर 4.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 5.35 कि.मी. राज्यमार्ग – 4.3 कि.मी.	खारून नदी – 19.4 कि.मी. मौसमी नाला – 2.2 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 665 मीटर बांध – 1.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **पूर्व में रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 21,17,584 टन माईनेबल 14,04,909 टन रिकव्हरेबल 13,34,663 टन **वर्तमान में शेष रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 18,44,320 टन माईनेबल 11,31,645 टन रिकव्हरेबल 10,75,063 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 15.65 वर्ष	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 85,250 टन द्वितीय 85,250 टन तृतीय 85,250 टन चतुर्थ 85,250 टन पंचम 85,250 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,750 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 980 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर (प्रस्तावित)	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 11,000 घनमीटर	ओव्हर बर्डन की मात्रा – 21,315 घनमीटर
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,341 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 550 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 791 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 177.56 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 5 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project Proponent shall submit top soil & over burden Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants (as mentioned in previous EC) and the name of the plant.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स खरकेना डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री विनोद कुमार अग्रवाल), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2698)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 448411 एवं 11/10/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.177 हेक्टेयर एवं 50,600 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1093, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1101/4 एवं 1102	
भू–स्वामित्व	निजी एवं शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1099 शासकीय एवं शेष खसरे श्री विनोद कुमार अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री आयुष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक – 1093, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4 एवं 1102 क्षेत्रफल – 2.177 हेक्टेयर क्षमता – 50,600 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 02/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16/02/2037 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 350 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 02/08/2023 वर्ष 2017–18 में 48,660 टन वर्ष 2018–19 में 47,750 टन वर्ष 2019–20 में 50,400 टन वर्ष 2020–21 में 41,800 टन वर्ष 2021–22 में 49,985 टन वर्ष 2022–23 में 49,673 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खरकेना दिनांक 30/11/2008	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 19/03/2021	
500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	अन्य 13 खदानें, रकबा 54.017 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 02/08/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

लीज डीड	लीज धारक – श्री विनोद कुमार अग्रवाल अवधि–19/02/1987 से 18/02/2037	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–मेड़पार, खसरा क्रमांक 298/2, 299, 305, 306/1 एवं 306/2, क्षेत्रफल 3.642 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/07/2023 वन क्षेत्र से दूरी – 17.88 कि.मी.	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 2.177 हेक्टेयर) की अचानकमार जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 64 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–मेड़पार 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम–खरकेना 3.45 कि.मी. अस्पताल–बिलासपुर 14.50 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–1.4 कि.मी. राज्य मार्ग–27.10 कि.मी.	मनियारी नदी 1.45 कि.मी. मौसमी नाला 4.25 कि.मी. तालाब 1.40 कि.मी. नहर 370 मीटर बांध 10 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट, सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **पूर्व में रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 23,32,536 टन माईनेबल 8,54,188 टन रिकव्हरेबल 7,68,769 टन **वर्तमान में शेष रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 20,12,239 टन माईनेबल 5,33,891 टन रिकव्हरेबल 4,80,501 टन प्रस्तावित गहराई 48 मीटर बेंच की ऊंचाई 6 मीटर बेंच की चौड़ाई 6 मीटर संभावित आयु 16 वर्ष क्रशर स्थापित नहीं है।	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,600 टन द्वितीय 50,600 टन तृतीय 50,600 टन चतुर्थ 50,600 टन पंचम 50,600 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,817 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	आवेदित क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की

		आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 555 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 350 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 205 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 56.194 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
iv. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants (as mentioned in previous EC) and the name of the plant.
v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्रीमती कमलादेवी भगतानी), ग्राम–टेमरी, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2699)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 447160 एवं 11/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.47 हेक्टेयर एवं 4,558 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	475, 476, 478, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499 एवं 500	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक – 475, 476, 478, 493, 494, 495, 496, 499 एवं 500 सुश्री गीता खसरा क्रमांक – 491, 492, 497 श्रीमती कमलादेवी भगतानी (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र अप्राप्त

बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गौतम रोहरा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खदान खसरा क्रमांक – 475, 476, 478, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499 एवं 500 क्षेत्रफल – 3.47 हेक्टेयर क्षमता – 4,558 घनमीटर (10,00,000 नग) प्रतिवर्ष दिनांक – 18/05/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बेमेतरा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14/03/.2031 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक–12/09/2023 वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में 9,88,000 नग वर्ष 2018–19 में 9,79,000 नग वर्ष 2019–20 में 9,04,000 नग वर्ष 2020–21 में 7,39,000 नग वर्ष 2021–22 में 9,79,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खम्हरिया दिनांक 30/09/2010	ग्राम पंचायत की अवधि 10 वर्षो हेतु वैध थी।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/02/2017	
500 मीटर	दिनांक 12/09/2023	1 खदान, रकबा 1.578 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती कमला देवी भगतानी अवधि–15/03/2011 से 14/03/.2031	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग द्वारा जारी, दिनांक 13/09/2023 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – टेमरी 1.5 कि.मी. शासकीय प्राथमिक शाला – 2 कि.मी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेवरा– 10 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 850 मीटर	शिवनाथ नदी – 110 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण •	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स** – जियोलॉजिकल 55,120 घनमीटर माईनेबल 52,055 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फलाई ऐश का प्रतिशत – 25% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 4,401.8 घनमीटर द्वितीय 4,447.2 घनमीटर तृतीय 4,451 घनमीटर चतुर्थ 4,463 घनमीटर पंचम 4,496 घनमीटर षष्ठम 4,509 घनमीटर सप्तम 4,522 घनमीटर अष्टम 4,534 घनमीटर नवम 4,536 घनमीटर दशम 4,558 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 624 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 450 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 300 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 150 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.048 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the latest Gram Panchayat NOC.

v. Project proponent shall submit the No Objection Certificate from forest department with mentioning the minimum distance of nearest forest boundary from lease area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants (as mentioned in previous EC) and the name of the plant.

viii. Project proponent shall submit the consent letter from landowner for mining.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the

Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पासीद ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री गोविंद भगतानी), ग्राम–पासीद, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2704)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 448977 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.692 हेक्टेयर एवं 3,667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 1302 श्रीमती आशा, खसरा क्रमांक 1293, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 श्री गोविंद भगतानी (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गोविंद भगतानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।

पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1293, 1302, 1315, 1316, 1317, 1320/2 क्षेत्रफल – 1.692 हेक्टेयर क्षमता – 3,667.2 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 02/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27/04/2036 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक – 05/10/2023 वर्ष 2018–2019 में 9,95,000 नग वर्ष 2019–2020 में 8,14,000 नग वर्ष 2020–2021 में 8,83,000 नग वर्ष 2021–2022 में 11,92,000 नग वर्ष 2022–2023 में 14,17,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पासीद दिनांक 20/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/10/2016	
500 मीटर	दिनांक 05/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 05/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री गोविंद भगतानी अवधि–28/04/2006 से 27/04/2036	पूर्व में लीज धारक – श्री कैलाश कुमार भिमनानी
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, वनमण्डल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 10/11/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 21.95 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम पासीद–2 कि.मी. शास. उच्च. माध्य. विद्यालय–1.5 कि.मी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़ी–12 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–24 कि.मी. राज्यमार्ग – 25 कि.मी.	के.एम.एल. से देखने पर 80 मीटर से 98 मीटर की दूरी पर अरपा नदी प्रदर्शित हो रही है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 33,840 घनमीटर माईनेबल 30,204 घनमीटर रिकव्हरेबल 27,183 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 3,667.2 घनमीटर द्वितीय 3,667.2 घनमीटर तृतीय 3,667.2 घनमीटर चतुर्थ 3,667.2 घनमीटर पंचम 3,667.2 घनमीटर षष्टम 3,667.2 घनमीटर

	बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50 प्रतिशत	सप्तम 3,667.2 घनमीटर अष्टम 3,667.2 घनमीटर नवम 3,667.2 घनमीटर दशम 3,667.2 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 909 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 240 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 40 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,11,300 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी, फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने, लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन एवं ईट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition

		(S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	**बी–2**	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.692 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
10	2%	0.2	Following activities at Government higher secondary School **Village-Pasid**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Portable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School/Community Health Centre	0.15
			Total	**1.0**

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. खनि निरीक्षक, जिला–बिलासपुर द्वारा उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19/12/2023 अनुसार "आवेदित लीज क्षेत्र के उत्तर–पूर्व दिशा में अवस्थित अरपा नदी से 100 मीटर तक के क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाकर खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसमें उत्खनिपट्टाधारी के द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, और क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आवेदित क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2, कुल रकबा 1.692 हेक्टेयर में से चिन्हांकित खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित क्षेत्र को छोड़कर शेष खसरा क्रमांक 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 कुल रकबा 1.546 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।" का उल्लेख है।

   उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुसार अरपा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया

जाना आवश्यक है। इस बाबत् प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने हेतु खनिज विभाग में आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. अरपा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स अटर्रा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अर्जुन भगतानी), ग्राम–अटर्रा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2703)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 449065 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.967 हेक्टेयर एवं 7,704 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	20, 21, 28, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1–2, 38, 39/1, 40/1, 41/1–2, 61	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 28, 39/1 श्रीमती ईश्वरी बाई खसरा क्रमांक 20, 21, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1–2, 38, 40/1, 41/1–2, 61 श्री विजय भगतानी के नाम पर है।	सहमति पत्र पात्र

बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गोविंद भगतानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 20, 21, 28, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 37/1–2, 38, 39/1, 40, 41/1–2, 61 क्षेत्रफल – 3.967 हेक्टेयर क्षमता – 7,704 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 02/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/03/2036 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 300 नग किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 05/10/2023 वर्ष 2018–19 में 8,81,000 नग वर्ष 2019–20 में 7,68,000 नग वर्ष 2020–21 में 6,82,000 नग वर्ष 2021–22 में 10,73,000 नग वर्ष 2022–23 में 11,89,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत अटर्रा दिनांक 19/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/10/2016	
500 मीटर	दिनांक 05/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 05/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री अर्जुन भगतानी अवधि–10/03/2006 से 09/03/2036	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 15/11/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 21 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – अटर्रा 320 मीटर शासकीय उ.मा. विद्यालय – 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 25 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.15 कि.मी.	मनीयारी नदी 72 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स** – जियोलॉजिकल 79,340 टन माईनेबल 70,328 टन रिकव्हरेबल 63,295 टन प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 7704.8 घनमीटर द्वितीय 7704.8 घनमीटर तृतीय 7704.8 घनमीटर चतुर्थ 7704.8 घनमीटर पंचम 7704.8 घनमीटर षष्टम 7704.8 घनमीटर सप्तम 7704.8 घनमीटर अष्टम 7704.8 घनमीटर नवम 7704.8 घनमीटर दशम 7704.8 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल– 2,196 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई–35 मीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 1,155 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 500 नग वर्तमान में वृक्षारोपण – 300 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 200 नग	200 नग पौधो के 5 वर्षो का घटकवार व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी, फलाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने, लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं

	प्रकार का खनन एवं ईट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.967 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20	2%	0.4	Following activities at nearby, **Village-Atarra**	
			Pavitra Van Nirman	2.06
			Total	**2.06**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, शिशु, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 69,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अटर्रा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 74 क्षेत्रफल 0.854 हेक्टेयर में से 0.3 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी छोड़ने के कारण सरफेस जियोलॉजिकल प्लान में संशोधन किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप 2,451 वर्गमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र का लगभग 4,902 घनमीटर भण्डार प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। उत्खनन योजना के अनुसार इस भाग से उत्खनन किया जा चूका है, अतः उत्खनन योजना में दर्शाये गये कुल भण्डार की गणना

पर प्रभाव नहीं आता है, तथापि उत्खनित किये गये इस भू-भाग को पुनःभरण कर सघन वृक्षारोपण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, जिला-बिलासपुर को संशोधित सरफेस जियोलॉजिकल प्लान हेतु दिनांक 20/12/2023 को आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुसार मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर किये जाने वाले शेष 200 नग पौधो के 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।
2. मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.- श्री भूषण लाल साहू), ग्राम-टेमरी, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2707)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 447159 एवं 18/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित

क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.578 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 76	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री भूषण लाल साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 76 क्षेत्रफल – 1.578 हेक्टेयर क्षमता – 2,200 घनमीटर (15,00,000 नग) प्रतिवर्ष दिनांक – 25/07/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बेमेतरा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29/08/2030 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हॉ	निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक–31/07/2023 वर्ष 2016–17 में 10,17,500 नग वर्ष 2017–18 में 12,00,000 नग वर्ष 2018–19 में 9,37,500 नग वर्ष 2019–20 में 8,01,500 नग वर्ष 2020–21 में 10,06,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खमरिया दिनांक 24/02/2013	ग्राम पंचायत की अवधि 10 वर्षों हेतु वैध थी।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/08/2023	
500 मीटर	दिनांक 03/10/2023	अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल – 3.47 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 10/10/2023	200 मीटर की परिधि में नदी तथा ग्रामीण सड़क स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री भूषण लाल साहू अवधि–30/08/2000 से 29/08/2030	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – टेमरी 1.5 कि.मी. शासकीय प्राथमिक शाला – 2 कि.मी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेवरा–10 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 850 मीटर	शिवनाथ नदी – 110 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 18,881 घनमीटर माईनेबल 15,023 घनमीटर रिकव्हरेबल 14,272 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्‌टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 25% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 15 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,200 घनमीटर द्वितीय 2,200 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्‌ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 1,398 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 35 मीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्‌टी का क्षेत्रफल – 531 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 500 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 150 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 350 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.048 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the No Objection Certificate from forest department with mentioning the minimum distance of nearest forest boundary from lease area.

v. Project proponent shall submit the No Objection Certificate from Gram Panchayat in the updated status.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants (as mentioned in previous EC) and the name of the plant.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स चनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पाड़े), ग्राम–चनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2641)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 440206 एवं 18/08/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 13/09/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 21/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.152 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 911, 915 श्रीमती सरला पाड़े खसरा क्रमांक 891, 893, 919 श्री बंशीलाल पाड़े खसरा क्रमांक 892, 894, 920, 918 – श्री कोमल प्रसाद पाड़े (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बंशीलाल पाड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

		अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 क्षेत्रफल – 2.152 हेक्टेयर क्षमता – 2,200 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 31/01/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2038 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 250 नग किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:– वर्ष 2018–19 में 2,200 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 2,063 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 2,019 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 2,180 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 2,198 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चनाडोंगरी दिनांक 18/10/2007 10 वर्ष हेतु पारित की गई थी।	ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2017	
500 मीटर	दिनांक 04/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/08/2023	पक्की सड़क – 1.5 कि.मी. आबादी क्षेत्र – 1.5 कि.मी.
लीज डीड	लीज धारक – श्री कोमल प्रसाद पाड़े अवधि–23/02/2008 से 22/02/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक – 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 15.03 कि.मी. अचानकमार टाईगर रिजर्व – 20.4 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चनाडोंगरी 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – चनाडोंगरी 1.5 कि.मी. अस्पताल – सकरी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3 कि.मी. राज्यमार्ग – 3.50 कि.मी.	घोंघा नाला – 70 मीटर नहर – 250 मीटर तालाब – 2.5 कि.मी. एनीकट – 2.0 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 22,209 घनमीटर माईनेबल 20,362 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40% एक लाख ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,100 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर षष्ठम 2,095 घनमीटर सप्तम 1,810 घनमीटर अष्टम 1,785 घनमीटर नवम 1,690 घनमीटर दशम 1,550 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 825 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 3,418 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 33 मीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 250 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 50 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,12,000 रूपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) प्रस्तुत किया जाए।
3. ईट निर्माण हेतु जिग–जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स (हिर्री डोलोमाईट माईन, प्रो–श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता), ग्राम–हिर्री, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2728)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 449984 एवं 23/10/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.781 हेक्टेयर एवं 50,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 62/1	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री उत्तम लाल गौतम, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

		अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 62/1 क्षेत्रफल – 1.781 हेक्टेयर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 16/11/2016 वैधता अवधि – 05 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/11/2022 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 200 नग किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 10/07/2022 वर्ष 2017–18 में 28,985 टन वर्ष 2018–19 में 30,575 टन वर्ष 2019–20 में 49,780 टन वर्ष 2020–21 में 49,380 टन वर्ष 2021–22 में 9,120 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत हिर्री (थाना) दिनांक 14/04/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/03/2022	
500 मीटर	दिनांक 24/07/2023	अन्य 11 खदानें, रकबा 166.872 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 10/07/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, प्रो. – श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता अवधि–06/10/2001 से 05/10/2051	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी 08/02/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 15.9 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – हिर्री 200 मीटर स्कूल ग्राम – हिर्री 500 मीटर अस्पताल – बिलासपुर 12 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 260 मीटर राज्यमार्ग – 28 कि.मी.	मनियारी नदी – 3.2 कि.मी. बरसाती नाला – 1.45 कि.मी. तालाब – 320 मीटर नहर – 1.1 कि.मी. बांध – 9.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन 2023–24 में 49,994 टन

	रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 9,45,088 टन माईनेबल 2,89,147 टन रिकव्हेरेबल 2,74,690 टन प्रस्तावित गहराई 44 मीटर बेंच की ऊंचाई 5 मीटर बेंच की चौड़ाई 5 मीटर संभावित आयु 6 वर्ष वर्तमान में प्रस्तावित क्रशर – नहीं	2024–25 में 50,000 टन 2025–26 में 49,999 टन 2026–27 में 49,995 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,930 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ (1,465 वर्गमीटर) माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 1 मीटर वर्तमान में ऊपरी मिट्टी नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।	खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 777 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 577 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः—

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the report of plantation of 577 plants in lease area periphery with proper numbering and photography.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री गोविंद अग्रवाल), ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2673)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise

the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 445202 एवं 21/09/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.610 हेक्टेयर एवं 23,936 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 247	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अंकुर अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 247 क्षेत्रफल – 1.61 हेक्टेयर क्षमता – 23,936 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 03/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/08/2027 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 200 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 28/07/2023 वर्ष 2017–18 में 22,090 टन वर्ष 2018–19 में 22,730 टन वर्ष 2019–20 में 16,500 टन वर्ष 2020–21 में 20,860 टन वर्ष 2021–22 में 22,170 टन वर्ष 2022–23 में 23,100 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पेण्ड्रीडीह दिनांक 10/02/1995	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/02/2017	
500 मीटर	दिनांक 10/08/2023	अन्य 11 खदानें, रकबा 167.043 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 10/08/2023	कटघोरा बायपास रोड – 70 मीटर आबादी क्षेत्र – 130 मीटर

लीज डीड	लीज धारक – श्री गोविन्द अग्रवाल अवधि–23/08/1997 से 22/08/2047	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–पेण्ड्रीडीह, खसरा क्रमांक 259, 252, 253, 254/1,2,3,4,5,6,7,9,10 क्षेत्रफल 5.591 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 17/10/2013 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 15 कि.मी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पेण्ड्रीडीह 130 मीटर स्कूल ग्राम – बोड़सरा 1 कि.मी. अस्पताल – बिलासपुर 9.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 410 मीटर राज्यमार्ग – 30.80 कि.मी.	तालाब – 330 मीटर नहर – 500 मीटर मौसमी नाला – 2.15 कि.मी. मनियारी नदी – 5.75 कि.मी. बांध – 7.55 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **पूर्व में रिजर्व –** जियोलॉजिकल 6,84,686 टन माईनेबल 2,04,713 टन **वर्तमान में रिजर्व –** जियोलॉजिकल 5,57,236 टन माईनेबल 77,263 टन प्रस्तावित गहराई 26 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर स्थापित – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,514 टन द्वितीय 23,936 टन तृतीय 23,712 टन चतुर्थ 23,936 टन पंचम 23,712 टन षष्ठम 23,712 टन सप्तम 22,971 टन अष्टम 22,971 टन नवम 6,570 टन दशम 3,458 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,000 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ पूर्व में लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया गया है। माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी नहीं है।	

जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 450 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 250 नग	
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनीज शाखा) जिला– बिलासपुर द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार कटघोरा बायपास रोड़ 70 मीटर की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग (कटघोरा बायपास) से कम से कम 100 मीटर की दूरी सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्तानुसार लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्ते जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
   iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
   iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
   v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
   vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
   vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
   viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
   ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
   x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone & maintaining the 100 meter safe distance from national highway to lease area.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals DPR (Detailed Project Report) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स मनवा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन (प्रो.– श्री हेमचंद भार्गव), ग्राम–मनवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2677)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs

have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445618 एवं 24/09/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 05/10/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 27/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.598 हेक्टेयर एवं 2,664 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	736/1, 736/2 एवं 781	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 736/1 – श्री छोटेलाल, श्री भीखम, श्री प्रीतम, श्री शेषनारायण, सुश्री गिरजाबाई, सुश्री सावित्री बाई, सुश्री तिरिथबाई एवं सुश्री हीरमती खसरा क्रमांक 736/2 – श्री छोटेलाल, श्री भीखम, श्री प्रीतम, श्री शेषनारायण एवं सुश्री सरोजबाई खसरा क्रमांक 781 – श्री गोफेलाल	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री हेमचंद भार्गव, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक –736/1, 736/2 एवं 781 क्षेत्रफल – 1.599 हेक्टेयर क्षमता – 2,664 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 03/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27/02/2042 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 200 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 22/06/2023 वर्ष 2018–19 में 1,208 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 1,190 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 980 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 600 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 820 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मनवा दिनांक 12/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन		क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

500 मीटर	दिनांक 22/06/2023	अन्य अवस्थित खदानें – निरंक
200 मीटर	दिनांक 22/06/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं। शिवनाथ नदी – 150 मीटर
लीज डीड	लीज धारक – श्री हेमचंद भार्गव अवधि–28/02/2012 से 27/02/2042	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 11.37 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – मनवा 300 मीटर स्कूल ग्राम – मनवा 500 मीटर अस्पताल – बलौदाबाजार 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 12.55 कि.मी. राज्यमार्ग – 15.20 कि.मी.	शिवनाथ नदी – 150 मीटर तालाब – 390 मीटर नहर – 1.5 कि.मी. नाला – 1.75 कि.मी. रिजर्वायर – 3.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **पूर्व में रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 27,646 घनमीटर माईनेबल 25,938 घनमीटर रिकव्हरेबल 24,641 घनमीटर **वर्तमान में रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 22,595 घनमीटर माईनेबल 20,887 घनमीटर रिकव्हरेबल 19,843 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 25%	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,421.6 घनमीटर द्वितीय 2,439.2 घनमीटर तृतीय 2,476.4 घनमीटर चतुर्थ 2,507.2 घनमीटर पंचम 2,522.4 घनमीटर षष्टम 2,534.4 घनमीटर सप्तम 2,550.0 घनमीटर अष्टम 2,569.0 घनमीटर नवम 2,597.0 घनमीटर दशम 2,664.0 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 558 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित	लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 279 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 79 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,12,275 रूपये

परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, फलाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. विद्यमान चिमनी किल्न को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.598 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ग्राम–कुकुरदीकेर के खसरा क्रमांक 713 में स्थित तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा के.एम.एल. में देखने पर पाया गया कि उक्त तालाब के चारों ओर पूर्व से ही वृक्ष अवस्थित है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से केवल कच्चे ईंट ही तैयार किये जायेंगे। इन कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्कें ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? यदि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है तो पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स सोनासिली ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को खसरा क्रमांक 138, 140, 141, 144, 145, 155, 157, 158, 159 एवं 160, ग्राम–सोनासिली, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 1.77 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,950 घनमीटर (39,50,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.77 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,950 घनमीटर (39,50,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

12. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
46.93	2%	0.9386	Following activities at, **Village- Sonasilli**	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	**1.55**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 140 नग जिसमें से 20 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित है। शेष 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सोनासिली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा 745, क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 770 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही**

रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

29. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

30. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स शेर ब्रिक अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को खसरा क्रमांक 2150/1, 2150/2, 2150/3, 2151, 2152, 2153, 2160, 2188, 2189, 2190, 2194, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 एवं 2207, ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 2.48 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 4,800 घनमीटर (40,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.48 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 4,800 घनमीटर (40,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज़ क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

12. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
51.82	2%	1.0364	Following activities at, **Village- Sher**	
			Plantation aound village Pond	1.55
			Total	**1.55**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 130 नग जिसमें से 10 नग वृक्ष पूर्व से तालाब कें चारो ओर अवस्थित है। शेष 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत शेर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 2837, क्षेत्रफल 2.74हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 945 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही**

रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

29. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

30. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.